idition, the following amount ecial Central Assistance for al Component Plan was spent ing the lost three years:—

Year	Amount
	(Rs. in crores)
1984-85	28.52
1985-86	33.90
1986-87	37.20
	(Provisional

Concessions to the Physically Handicapped persons

3232. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) what concessions are being given to the physically handicapped persons while travelling by railways and buses of the Delhi Transport Corporation; and

(b) whether there is any scheme to help financially the physically handicapped to purchase self-driven cycles and if so, the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) A statement indicating the concessions given by the Railways is laid on the Table of the House. (*See* below) Delhi Transport Corporation allowed free travel to blind, deaf and dumb and orthopaedically handicapped persons in local journeys.

(b) Under the scheme of Assistance to disabled persons purchase/fitting of aids appliances, tri-cycles are given to eligible orthopaedically handicapped persons. The maximum quantum of assistance under this scheme is Rs. 3000|-. Full cost of tri-cycles subject to maximum of Rs. 3,000|- is met in case of those whose income is upto Rs. 1200 per month and 50% cost to those whose income is between Rs. 1201 to Rs. 2500|- per month.

Statement

Rail vay Concession for the Handicapped in Rail Journeys

Category	Element of concession admissible Single journey tickets	Monthly Season tickets
1. Blind persons travelling alone or with an escort.	75% for the blind & his escort separately.	50% for the blind & his escort separately.
*2. Those Orthopaedically Handicapped paraplegic persons (who cannot travel without an escort accompanied by an escort.	75% for both.	5 % for both.
*3. Mentally Retarded persons (who cannot travel without an escort accompanied by an escort.	75% for both.	50% for both.
4. Totally deaf & dumb persons (both afflictions together in the same person).	50% (no concession for escort.	50%

*Concession is not admissible to those Orthopaedically Handicapped persons and Mentally Retarded persons who can travel alone or want to purchase only one ticket.

सूखे की स्थिति से निपटने के लिए उपाय

3233. श्री जगदीश प्रसाद यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कितने राज्य सूखे से प्रभावित हुए हैं और उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें मानसून के देर से आने के कारण कृषि में हानि हुई है ; क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आकलन किये हैं और क्या इस स्थिति का सामना

युद्धस्तर पर करने के लिये कोई योजना बनाई गयी है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या कृषक अब भी वर्षा पर निर्भर करते हैं और देश भर में उनके लिए नहरें, नलकूप, तालाब और बड़े नलकूप आदि उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) अभी तक 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों ने इस वर्ष मानसून के देर से आने के कारण सूखे की विद्यमान स्थिति के बारे में सूचना भेजी है। वे राज्य है :—

(1) आन्ध्र देश, (2) गुजरात (3) हरियाणा (4) जम्मू एवं कश्मीर (5) कर्नाटक (6) केरल (7) महाराष्ट्र (8) मध्य प्रदेश (9) नागालैंड (10) उड़ीसा (11) सिक्किम (12) तमिलनाडु (13) उत्तर प्रदेश और (14) राजस्थान और संघ शासित प्रदेश ये हैं :— (1) दादर एवं नागर हवेली (2) चण्डीगढ़, (3) दमन एवं दीव (4) दल्ली (5) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (6) पाण्डिचेरी । अभी तक कृषि उत्पादन में हुई क्षति के कोई अनुमान नहीं लगाये गये हैं।

भारत सरकार ने मानसून की अनियमितता के अनुसार कृषि उत्पादन के लिये विस्तृत आकस्मिक योजना तैयार की है और तदनुसार राज्यों को सलाह दी है । इसके अतिरिक्त सूखे की स्थिति से निपटने के लिये निम्न कदम उठाये गये हैं :—

(1) तत्काल सूखा राहत उपाय करने के लिये राज्यों को मार्जिन धनराशि की सहायता का प्रावधान किया गया है।

(2) आवश्यकतानुसार तदर्थ केन्द्रीय सहायता नियुक्त की जा रही है।

(3) सूखा राहत संबंधी कार्यों का प्रबंधन करने के लिये प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में सूखा राहत मंत्री मण्डलीय समिति गठित की गई है ;

(4) राज्यों द्वारा शुरू किये जाने वाले विभिन्न राहत उपायों के बारे में विस्तृत हिदायतें जारी की गई हैं। उन उपायों में ये शामिल हैं ; कृषि प्रयोजन के लिये बिजली की सप्लाई को प्राथमिकता देना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण और पेयजल और चारे की उपलब्धि को सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी कदम उठाना ।

(ख) जी, हां । किसान विशेषकर असिंचित क्षेत्रों में वर्षा पर निर्भर करते हैं। सिंचाई संबंधी सुविधाओं को उपलब्ध कराना सूखे की स्थिति से कृषि को बचाने के तरीकों में से एक है। छठी योजना के अन्त तक करीब 675 लाख हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता, जो 1130 लाख हेक्टेयर की अनुमानित मूलभूत सिंचाई क्षमता के 60 प्रतिशत के बराबर है, सृजित की गई है। सातवीं योजना में 129 लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन करने का विचार है।

Clearance for Irrigation Projects from Madhya Pradesh

3234. SHRI AJIT P. K. JOGI: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) what are the medium and major irrigation projects from Madhya Pradesh which are pending with the Central Government for clearance for more than two years; and

(b) what are the reasons for delay in giving clearance to them?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI B. SHANKARANAND): (a) an d(b) Out of nine major and four medium projects, one major and one medium schemes have been techno-economically appraised and replies to the comments on other schemes have not been complied by the State Government.